जय सनातन

राष्ट्रहित सर्वोपरि

जय सनातन

RSP
राष्ट्रीय सनातन पार्टी

राष्ट्रीय सनातन पार्टी

पंजीकृत कार्यालय: म. न. 108-ए, भूतल, खसरा नंबर 60, 30 फुटा रोड,
नया सभापुर गुजरान, करावल नगर, दिल्ली-110090
www.rashtriyasanatanparty.org , E-mail: rashtriyasanatanparty@gmail.com 9412458054, 9410073474

RSP
राष्ट्रीय सनातन पार्टी

By Post

पत्रांक 199 | दिनांक 12/12/2025

सेवा में,
श्रीमान नरेन्द्र दामोदर दास मोदी
प्रधानमंत्री, भारत सरकार

विषय : प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर रोक, ग्राम पंचायत की सहमति को अनिवार्य करने तथा पंचायती राज की मूल भावना की रक्षा हेतु निवेदन।

मान्यवर,

सादर निवेदन है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की बुनियाद ग्राम स्वराज, ग्रामीण नेतृत्व और स्थानीय समुदायों की सर्वोपरि भागीदारी पर टिकी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 अगस्त 1945 को रोहतक में जाट समुदाय सहित किसानों, ग्रामीणों और समस्त भारतवासियों को स्पष्ट आश्वासन दिया था कि स्वतंत्र भारत ग्रामों की शक्ति पर खड़ा होगा और जाट राज ही पंचायती राज व्यवस्था है, जोकि देश की मूल शासन प्रणाली बनेगी।

देश की आजादी के बाद 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायती राज लागू कर उस ऐतिहासिक वादे को पूरा किया गया। यह व्यवस्था केवल शासन प्रणाली नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है।

भारत की कृषि, जल-संसाधन, पर्यावरण और ग्राम स्वराज की बुनियाद ग्राम पंचायत की पूर्ण स्वायत्तता पर आधारित है। दुर्भाग्यवश वर्तमान समय में देश के अनेक हिस्सों में जल, जंगल और जमीन का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, जिसमें ग्राम पंचायतों की भूमिका सीमित होती जा रही है, जो ग्राम स्वराज की मूल भावना के विपरीत है।

राष्ट्रीय सनातन पार्टी इस विषय पर गहरी चिंता व्यक्त करती है और निम्नलिखित माँगें आपके समक्ष रखती है—

1. ग्राम पंचायत की सहमति को संवैधानिक दर्जा मिले

(पृष्ठ 2 पर जारी......)

किसी भी प्राकृतिक संसाधन—खान, रेत, खनिज, जलाशय, वन, चारागाह, पहाड़ी क्षेत्र—का दोहन तब तक न किया जाए जब तक संबंधित ग्राम पंचायत की लिखित सहमति प्राप्त न हो।

2. ग्राम पंचायत के 70% ग्रामीणों की सहमति अनिवार्य की जाए

किसी भी संसाधन के दोहन, भूमि अधिग्रहण, कॉर्पोरेट खनन या उद्योग स्थापना से पहले ग्राम सभा/ग्राम पंचायत के कम से कम 70% ग्रामीणों की सहमति आवश्यक घोषित की जाए।

3. प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय नीति बने

पर्यावरण संरक्षण, भूजल स्तर, वन क्षेत्र और जलाशयों के संरक्षण को अनिवार्य बनाते हुए एक राष्ट्रीय ग्राम-संसाधन संरक्षण नीति बनाई जाए।

4. ऐसी किसी भी नीति, आयोग या नियम पर रोक लगाई जाए जो पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक शक्तियों को कमजोर करता हो, या ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र को सीमित करता हो।

महोदय,

पंचायती राज का वास्तविक अर्थ ही ग्रामीण स्वशासन है — और ग्रामीण स्वशासन का अर्थ है ग्रामवासियों का जल, जंगल, जमीन पर पहला अधिकार।

यदि ग्राम पंचायत की शक्ति कमजोर होगी तो भारत की लोकतांत्रिक बुनियाद कमजोर होगी। अतः राष्ट्रीय सनातन पार्टी आपसे विनम्र निवेदन करती है कि—

ग्राम पंचायत को भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक इकाई के रूप में सशक्त किया जाए और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर त्वरित रोक लगाई जाए।

आपकी सकारात्मक पहल भारत के ग्रामीण समाज में नया विश्वास उत्पन्न करेगी और स्वतंत्रता आंदोलन की मूल भावना को संरक्षित करेगी।

आपके उत्तर, निर्णय और हस्तक्षेप की प्रतीक्षा में।

भवदीय,

VISHWAJEET SINGH ANANT
PRESIDENT
RASHTRIYA SANATAN PARTY
H.NO. 108-A, G/F, KH. No. 60,
30 Foota Road, New Sabhapur Gujran,
Karawal Nagar, Delhi-110090

विश्वजीत सिंह अनंत
राष्ट्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय सनातन पार्टी
मोबाइल नं 9412458954
ईमेल : rashtriyasanatanparty@gmail.com